न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 123/2016 दायरा दिनांक : 11.07.2016

उनवान

दिलीप उर्फ दिलीप कुमार उर्फ पप्पू वल्द श्रीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– कुसुमलता पुत्री श्री चन्द जोजे कृपाशंकर, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद वल्द श्री चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– कौशल्या पुत्री श्री चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ हाल निवासी कोटा डडवाना माचिस फैक्ट्री के पीछे मथरा वालों की गली मकान नम्बर 203 कोटा, तहसील लाडपुरा, कोटा

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 124/2016 दायरा दिनांक : 11.07.2016

उनवान

दिलीप उर्फ दिलीप कुमार उर्फ पप्पू वल्द श्रीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बनाम

1– कुसुमलता पुत्री श्री चन्द जोजे कृपाशंकर, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– जगदीश उर्फ जगदीश प्रसाद वल्द श्री चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– कौशल्या पुत्री श्री चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी गेहूंखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ हाल निवासी कोटा डडवाना माचिस फैक्ट्री के पीछे मथरा वालों की गली मकान नम्बर 203 कोटा, तहसील लाडपुरा, कोटा

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री हेमराज सिंह हाडा एवं श्री श्यामसुन्दर शर्मा।। अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री बी एल माहेश्वरी एवं श्री महावीर सैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2021

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 239/दावा/2014 निर्णय व प्राथमिक डिकी एवं अन्तिम डिकी दिनांक 31.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक एवं अंतिम डिकी दिनांक 31.05.2016 विधि

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रावधानों, नियमों एवं पत्र संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । जबकि प्रत्येक खसरा नम्बर का बंटवारा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर किया जाना चाहिए जिसका भी अभाव है । अधीनस्थ न्यायालय ने पेपर पार्टीशन प्राप्त होने के बाद उसके बारे में किसी तरह की आपत्तियां पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2016 अपास्त की जावे ।

अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1 व 3 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है उसमे कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक व अंतिम डिक्री दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध आर्डर शीट दिनांक 31.05.2016 में प्रतिवादी नम्बर 2 की उपस्थिति नहीं है और न ही प्रतिवादी नम्बर 2 को सुना गया । लोक अदालत में फैसला गलत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.05.2016 को ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गई है । जबकि बंटवारे में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा किया जाना होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री एक ही दिनांक 31.05.2016 को

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2011–12 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 699, आर आर टी 2017 पेज 446, आर आर टी 2018.19 (सप्लीमेन्ट्री) पेज 394 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि इनका काउंटर क्लेम भी नहीं है । लोक अदालत में रिकार्ड व मेरिट पर निर्णय पारित किया है । रिकार्ड के मुताबिक इनका 1/4 हिस्सा है । लोक अदालत के नोटिस भी दिये गये हैं । वादग्रस्त आराजी के बाबत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बाबत कही कोई आपत्ति नहीं की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका पर दिनांक 31.05.2016 निर्णय में वादनी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 की उपस्थिति दर्ज है। इनके हस्ताक्षर भी है। लेकिन अपीलांट प्रतिवादी सं. 2 की उपस्थिति बाबत कोई अंकन नहीं है और न ही पत्रावली पर हस्ताक्षर है। लोक अदालत में राजीनामें के आधार पर प्रकरण निस्तारित किये जाते है। राजीनामें में सभी पक्षकारों की सहमति होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालस द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही राजीनामें में उसको पक्षकार बनाया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने में राजस्व नियम 18–21 की पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 123/2016 एवं 124/2016 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2016 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 31.05.2016 अपास्त

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर तथा राजस्व नियम 18–21 की पालना कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा